भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2585

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास की कमी

2585. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत प्रस्तावित दो करोड़ ग्रामीण आवासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश में ग्रामीण आवास की कमी की राज्य-वार वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ग) जून 2024 से अब तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कितने आवास पूरे किए जा चुके हैं और उनकी संख्या कितनी है तथा शेष लक्ष्य को पूरा करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च 2029 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवासों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके 4.95 करोड़ मकानों के निर्माण हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए पीएमएवाई-जी को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है। अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.14 करोड़ का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3.86 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है और 2.92 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 और अंतिम रूप दी गई आवास+ 2018 सूचियों के तहत निर्धारित आवास वंचन मापदंडों और बहिर्वेशन मानदंडों के आधार पर संबंधित ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया को पूरा करने के अध्यधीन की जाती है। मंत्रालय ने 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा एसईसीसी-2011 सूची और आवास+ 2018 सूची के माध्यम से पहचाने गए पात्र परिवारों के लिए संतृप्ति प्राप्त कर ली है।

वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान पीएमएवाई-जी को जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से और संशोधित बहिर्वेशन मापदंडों के साथ ई-केवाईसी चेहरा आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए एक नवीन सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

(ग) पीएमएवाई-जी के तहत, जून 2024 से देश में 30,23,837 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष लक्ष्य को पूरा करने की समय सीमा मार्च, 2029 है।

****